न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–136/2018 रे0वाद

उनवान प्रकरण

1. मांगीलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी––

बनाम

1. शेषमल पिता मोहनलाल जाट निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा 2012 आर0टी0एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 29/07/2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम सातलियास तहसील सहाड़ा की खाता संख्या 207 जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 747 रकबा 0.01 हे0, 750 रकबा 0.38 हे0 766 रकबा 0.25 हे0 771 रकबा 0.28 हे0 774 रकबा 0.02 हे0 775 रकबा 0.03 हे0 7102/770 रकबा 0.35 हे0 कुल किता 7 रकबा 1.32 हे0 स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है तथा विपक्षी संख्या एक का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या एक वादग्रस्त आराजियात का बिना विधिवत रूप से विभाजन करा ही वादग्रस्त आराजियात पर जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है तथा बिना विधिवत विभाजन कराये ही वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन ,बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर उसमे अजनबी व्यक्ति को प्रवेश कराने पर उतारू है।

जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद के उपरोक्त आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तब तक विपक्षी वादग्रस्त आराजियात पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर (राज.)

क्रमशः.....02

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.12.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण एक लगायत दो बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया गया जो इस प्रकार हैः—

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक सह खातेदार है। विभाजन न होने तक विवादित आराजियात के प्रत्येक इंच भाग पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक का दोनों का कब्जेदार स्वामित्व है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः— यदि अप्रार्थी को आदेश नहीं दिया गया तो प्रार्थी को ऐसी असुविधा होगी।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक सह खातेदार है। एक सहखातेदार संयुक्त संपत्ति में से अपने हिस्से को बिना विभाजन के बेच सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की हैं कि जबरदस्ती निर्माण करवा देंगे या बेच देंगे या रहन रख देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या एक के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षी संख्या एक सामलाती भूमि पर आवागमन बाधित नही करे न स्थायी निर्माण करें, न कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करें, यह कृत्य न तो स्वंय करें न अन्य से करावें। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद के निर्णय तक जारी की जाती हैं।

आदेश दिनांक 26.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी0एल0 शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)